बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक.................................../पटना, दिनांक...
03/सह०ब०योजना (आवंटन)–02/2025

प्रेषक,

अभय कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

विषयः– **सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के विभागीय पदाधिकारियों/कर्मियों को अनिवार्य प्रवेशकालीन/सांस्थिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त प्रदान किये जाने वाले अन्य सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना मद से प्रशिक्षण शुल्क के रूप में कुल रू0 1,00,00,000/– (एक करोड़) रूपये का आवंटन।**

महांशय,

वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक–146, दिनांक–06.06.2025 के आलोक में राज्य स्कीम अंतर्गत मांग संख्या–09, मुख्य शीर्ष–2425 सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–003–प्रशिक्षण, उपशीर्ष–0102–विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए अनुदान, विपत्र कोड–09–2425000030102, विस्तृत शीर्ष–20–अन्य प्रशासनिक व्यय, विषय शीर्ष–03–प्रशिक्षण व्यय में रू0 1,00,00,000/– (एक करोड़) रूपये का आवंटन दिया जाता है।

2. उपर्युक्त आवंटन वित्त विभाग के पत्र सं0–227/वि0, दिनांक–28.03.2025 के अंतर्गत बिहार विनियोग (संख्या–02) अधिनियम, 2025 एवं वित्त विभाग के पत्र संख्या–235/वि0, दिनांक–01.04.2025 के आलोक में दिया जा रहा है। वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561, दिनांक–17.04.1998 में निहित शर्त्तों/अनुदेशों का अनुपालन किया जाना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवश्यक होगा।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/–
(अभय कुमार सिंह),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–................................/पटना, दिनांक–...

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबंद लिफाफा में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–39 (अप०) /पटना, दिनांक–01/08/2025

प्रतिलिपिः– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, स०स०, बिहार, पटना/उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/विपत्र लिपिक, कार्यालय निबंधक, स०स०, बिहार, पटना (दो मूल प्रतियों में)/विभागीय आई०टी० मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.08.25

सरकार के अपर सचिव।